



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 223 राँची, गुरुवार,

15 मई, 2025 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2024

संख्या: 09/क्षे.(नि.)2-38/2022-2647--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद्वारा राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों (सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा माध्यमिक/+2 विद्यालयों को छोड़कर) में लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त को विनियमित करने हेतु विभागीय अधिसूचना सं. 3435 दिनांक 13.08.1974 द्वारा गठित एवं प्रभावी, "अनुसचिवीय सेवा संवर्गीकरण, नियुक्ति, प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण नियमावली, 1974 (यथा संशोधित 1980)" के स्थान पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं. का.-1749 दिनांक 27.03.2010 द्वारा गठित "झारखण्ड राज्यलिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवासंवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2010 (यथा संशोधित)"को निम्नरूपेण अंगीकृत करते हैं -

- (I) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा। यह नियमावली सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा माध्यमिक/+2 विद्यालयों को छोड़कर राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लागू होगी।
- (II) राजपत्र में अंगीकृत किये जाने के संबंध में प्रकाशन की तिथि से राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए यह नियमावली प्रभावी होगी।
- (III) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों को छोड़कर, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय पदों का संवर्ग, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि से जिलास्तरीय होगा।

इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/ टंकक/अन्य लिपिकीय पदों का संवर्ग, यदि वे स्वयं चयन करते हैं, पूर्ववत् फ्रैंडल स्तरीय होगा। चयन हेतु उन्हें मात्र एक अवसर प्रदान किया जायेगा, जो अंतिम होगा एवं इस हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में विधिवत् सूचना प्रकाशित कर कम से कम 45 दिनों का समय दिया जायेगा। उनके मामले में भी "झारखण्ड राज्यलिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवासंवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली, 2010 (यथा संशोधित)"के शेष संपूर्ण प्रावधान हू-बहू लागू होंगे।

उपर्युक्त प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-29.08.2024 में मद संख्या-26 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति दी गई है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

उमाशंकर सिंह,

सरकार के प्रभारी सचिव।
